उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

सेवा का अधिकार भवन

चालंग हिल्स, पो॰ऑ॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

वेबसाईटः–urtsc.uk.gov.in, ई–मेलः–ukrtsc@gmail.com

समक्षः– भूपाल सिंह मनराल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग देहरादून।

पंजीकरण सं॰:– C-XN240I112912.PGR

अपीलकर्ता / शिकायतकर्ताः– स्वतः संज्ञान।

बनाम

प्रतिपक्षीः– प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़।

आदेश

उपरोक्त पंजीकृत शिकायत के संदर्भ में आयोग के आदेश दि॰ 01.02.2024 के क्रम में जिला पंचायतराज अधिकारी, [illegible] के प्रतिनिधि के रूप में श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ उपस्थित हुए।

2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ ने जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र संख्याः 1806 / पं॰ / से॰काअधि॰ लंबित प्रकरण / 2023–24, दि॰ 28.02.2024 की प्रति उपलब्ध कराते हुए निम्नवत् उत्तर दिया:–

(क) जनपद–[illegible] के अंतर्गत **'अपणि सरकार पोर्टल'** पर दि॰ 01.11.2023 से दि॰ 31.12.2023 तक कुल 11 प्रकरण लंबित थे, जिनमें 10 मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, 01 प्रकरण (आवेदन संख्याः UK23ES1300197930) परिसीमन 2019 में ग्राम पंचायत वैली नगरपालिका में सम्मिलित होने के कारण पोर्टल पर लंबित है।

(ख) उक्त प्रकरण में विलंब के लिये निम्न कार्मिक जिम्मेदार पाये गये हैं:–

क्र॰सं॰	कार्मिक का नाम	पदनाम	लंबित आवेदनों की संख्या	अभ्युक्ति
1	श्री देवेन्द्र राम	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत–मदकोट, सिंतोला एवं बंगपानी	4	डी॰एस॰सी॰ अपूर्व न होने के कारण (तकनीकी समस्या होने

2	श्री रविमोहन पोखरिया	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, मालाझूला, खोलीचर्मा	2	के कारण) प्रपत्र अपूर्ण
3	सुश्री सोनिका कोहली	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, धरासी चमोल	1	तकनीकी समस्या
4	कु० नेहा जेठी	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, डीगरा	1	
5	श्री मयंक राजन	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, चौकोडी	1	
6	श्री बलवीर सिंह गुज्याल	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिप्ती	1	
7	श्री खगेन्द्र सिंह बिष्ट	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, दौला	1	परिसीमन 2019 में ग्राम पंचायत वैली नगरपालिका में सम्मिलित होने के कारण
		कुल	11	

3. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–4 एवं धारा–5 का यदि अवलोकन किया जाय तो निर्धारित समय–सीमा के अंदर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध कराये जाने का संपूर्ण दायित्व पदाभिहित अधिकारी का है, जो कि निम्नानुसार है:–

धारा–4 **पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध करायी गयी समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध करायेगा।**

धारा–5(2) **पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर दिये गये समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन–पत्र को निरस्त करेगा तथा आवेदन–पत्र को निरस्त करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा।**

पदाभिहित अधिकारियों का दायित्व है कि वह प्रत्येक आवेदन को निर्धारित समय–सीमा के अंदर स्वीकृत करें अथवा निरस्त करें। किसी आवेदन निरस्त करने पर निरस्त किये जाने का सुस्पष्ट कारण लिखित रूप अभिलिखित करते हुए आवेदक को अवश्य सूचित करें। अधिनियम में निर्धारित समय–सीमा के उपरांत किसी भी कारण से आवेदन को लंबित रखे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

4. उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद स्तर पर उक्त अवधि में लंबित 11 मामलों में से 10 का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त **प्रस्तर–2 की** तालिका के **क्रमांक–7** पर अंकित श्री खगेन्द्र सिंह बिष्ट, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के क्षेत्र का 01 प्रकरण

परिसीमन 2019 में ग्राम पंचायत वैली नगरपालिका में सम्मिलित होने के कारण अभी भी पोर्टल है, जिसको पोर्टल से हटाने हेतु विभाग को ITDA को लिखा जाना चाहिए था। परंतु, विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार कतिपय आवेदनों निस्तारण में **लगभग 01 से 02 माह** का विलंब हुआ है, जबकि **उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनिमय, 2011 के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अंतर्गत इन सेवाओं हेतु समय–सीमा 03 दिन** निर्धारित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/सहायक विकास अधिकारियों के स्तर प्रत्येक माह उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है।

5. उपरोक्त के क्रम में आयोग द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़ को निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

(1) 01 प्रकरण **(आवेदन संख्याः UK23ES1300197930)** जो परिसीमन 2019 में ग्राम पंचायत वैली नगरपालिका में सम्मिलित होने के कारण पोर्टल पर लंबित है, को हटाने के संबंध में ITDA से संपर्क स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति उक्त **प्रस्तर–2 (ख) के क्रमांक–1 से 6 तक वर्णित** सभी कार्मिकों को **व्यक्तिगत तौर** पर तामिल कराते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए, अपना मंतव्य सहित आख्या प्रत्येक दशा में **दि॰ 27.03.2024 तक** आयोग को उपलब्ध करायें ताकि आयोग स्तर पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–9(1)(ख) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किये जाने संबंधित विनिश्चय किया जा सके।

(3) समस्त प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/सहायक विकास अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे प्रत्येक माह उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों का अनुश्रवण करें और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करायें। साथ ही, स्वयं भी अपने स्तर से प्रत्येक माह लंबित आवेदनों का अनुश्रवण करते हुए, उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करायें।

दिनाँकः 29.02.2024।

(भूपाल सिंह मनराल)
आयुक्त।